

प्रसार भारती / PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक) / (INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
दूरदर्शन महानिदेशालय / DG: DOORDARSHAN
कॉपरनिकस मार्ग / COPERNICUS MARG,
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001

F.No. 904/51/2022-23/APIO/RTI/CAPIO/CPIO/FAA

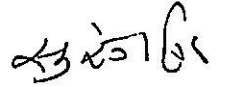
Dated : 28.05.2025

कार्यालय आदेश / Office Order

विषय/Subject : दूरदर्शन के डीसीडी अनुभाग के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामांकन हेतु / Declaration of CPIO & FAA for DCD Section, DG:DD.

महानिदेशालय: दूरदर्शन कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) & 19(1) के तहत महानिदेशालय दूरदर्शन के डीसीडी अनुभाग से संबंधित सभी आरटीआई मामलों के संबंध में श्री आर.एस. चौहान, उप-निदेशक (प्रशा.) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं श्री अमित कुमार, उप-महानिदेशक को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

In partial modification of DG:DD office Order even number dated 20.05.2024, Shri R.S. Chouhan, Dy. Director (Admn.) is designated as Central Public Information Officer, under Section 5(1) and Shri Amit Kumar, Dy. Director General as First Appellate Authority, under Section 19(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to **DCD Section** of DG: Doordarshan.



(Surender Singh)
Dy. Director General (Admn.) & CPIO (RTI)

To,

1. श्री अमित कुमार, उप-महानिदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, डीसीडी अनुभाग, डीजी:डीडी, नई दिल्ली / Shri Amit Kumar, Dy. Director General & First Appellate Authority, DCD Section, DG:DD, New Delhi.
2. श्री आर.एस. चौहान, उप-निदेशक (प्रशा.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी डीसीडी अनुभाग, डीजी:डीडी, नई दिल्ली / Shri R.S. Chouhan, Dy. Director (Admn.) & CPIO, DCD Section, DG:DD, New Delhi.

Copy to :-

1. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रसार भारती सचिवालय को अनुरोध है कि उपरोक्त अधिकारी आदेश को आर.टी.आई वेबपेज और ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाए। / CPIO, Prasar Bharati Sectt. with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage and e-office notice board.